

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर मुकाम..... (S.D.O) बांध

..... झरवाराम बनाम शुभाराम वगैरा

किस्म मुकदमा..... रा. आवेदन 111, 128 R.R. नं. 230/2020 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/08/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>हरिप्रसा चौधरी</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111 + 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/09/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>सहायक कलेक्टर (S.D.O) बांध</u></p>	
29/09/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाप मक्षकारान उपस्थित। पीठासीन आंध कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिश्रल इल्लतवा होकर दिनांक <u>10/11/20</u> को पेश हों।</p>	
10/11/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी जगदीश के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभा गया। विप्रार्थी/जवाब वाक्युड तामिल अनुपस्थित। सीमान्त प्रस्तावित अक्षि काही दिग्गट कार्यों में व्यस्त होने के मिश्रल इल्लतवा होकर दिनांक <u>22/12/20</u> को पेश हो।</p>	



22/12/20

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय
गलकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी
कार्य दिग्गर्त कार्य में व्यस्त हैं। विभागा
इलतवा होकर दिनांक 19/01/21 का
पेश हो।

६

10/11/2021

19/01/21

पत्रावली पेश हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 26/04/21

को पेश हो।

26/04/2021

पत्रावली पेश हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 06/07/21

को पेश हो।

06/07/21

पत्रावली पेश हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 15/09/21

को पेश हो।

15/09/21

— आर्थी वकील उपस्थित। विप्राधीगण लाकजुड तामिल
अनुपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार् मावाज लगाई
गई, अन्तिम मावाज 5-45 pm पर लगाई गई, विप्राधीगण
स्वयं मा उनही मोट ले छोई अधिकस्त उपस्थित नथी
हुआ त्रिशाज विप्राधीगणों के विरुद्ध स्वतन्त्रता डाभेवरी
समल के खई जाली हो मतः कास्ते बरस पत्रावली
दिनांक 14/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बंगलूर

14/10/21

पत्रावली आज पेश हुई। आर्थी वकील उपस्थित।
विप्राधीगण अनुपस्थित। पीधान पीठासीन अधिकारी उपस्थित
रान जाँवों के संगे समिपान-2021 में व्यस्त होने के
मितल इलतवा होकर दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।

२

10/11/2021

पत्रावली काज अंतर्गत गाँवों के लिंग
अभिवृत्त- 2021 केम्य डेटे ग्राम पंचायत
सिगोडिया में रखी गई जमीन वहील उपस्थित।
जमीन के अधिकारता की वजह सुनी गई जमीन
के अधिकारता बाह्य बलाया की जमीन व बिजारी-
गणों की आतेवाली भूमि पास-पास बसेहा सेह
आपे आई हुई है। जमीन व बिजारीगणों के घेतों
के मध्य जो पुरानी मारे व डोरे आपे हुए थे
जो पतमान में माझियों की वजह से बिब्य
गये हैं जिससे जमीन के अपने घेत के सेहो
का सही जान नही हो पा रहा है। जिन कारण
जमीन व बिजारीगणों के मध्य हमेशा घेत के
सेहो को लेकर तनाजा बना रहता है। जमीन
के अपने घेत के सेहो का सही जान करने
के लिये नैषमबन्ती करवानी आवश्यक है। इसलिए
जमीन का नैषमबन्ती करवेदन स्वीकार विमा जाडर
नैषमबन्ती करवेदन विमा जावे।

अतः जमीन अधिकारता के सिबेदन
पर जमीन का नैषमबन्ती करवेदन स्वीकार विमा
जाडर तदासिडर बायतु डो इमिशन कासकथित
भूक अभिलेख निरीसड डो सदासड इमिशन नियुक्त
विमा जाडर करवेदन विमा जात है डि आपे स्थान
या सदासड इमिशन से जमीन के आतेवाली घेतों
की पक्की नैषमबन्ती मोडे पर इमिशन सुलड
जमाडरडर डरे। पालना रिपोर्ट आपत डोने पर
आमिल पत्रावली हो पत्रावली जेमल सुमारडोडा
इज नम्बर से डम है, दाखिल डमलर है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2021/

1304

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 22/11/2021

विप्रार्थीगण

1. अखाराम पुत्र नारणाराम
जाति जाट, निवासी जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. खूमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 34
जाति जाट, नि. जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 230/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लीलाला, पटवार मण्डल - बायतु पनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 257, 392/235 रकबा क्रमशः 4.6841, 5.5740 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 22/11/2021

कमांक/वाद/2021/ 1305 + 1309
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

- 1 तहसीलदार बायतु
- 2 पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- 3 प्रार्थी श्री अखाराम पुत्र नारणाराम
- 4 विप्रार्थी श्री खूमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 34
- 5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु